भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4221
उत्तर देने की तारीखः 22.03.2021

समग्र शिक्षा अभियान

†4221.श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
डॉ. सुजय विखे पाटीलः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) स्कूली शिक्षा के लिए समेकित योजना को संपूर्ण देश में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है तथा यदि हां, तो संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के उद्देश्य, प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख हस्तक्षेप क्या हैं तथा बजट अनुमान 2021-22 में एसएसए के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र के हिस्से और व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) कितने विद्यालयों का माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर उन्नयन किया गया है और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर कितने विद्यालयों में अतिरिक्त विषयों को मंजूरी दी गई है; और

(ड.) देश में बुनियादी ढांचे और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ड.): जी, हाँ। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से प्रभावी स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र

के लिए प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक एक व्यापक योजना है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

समग्र शिक्षा के उद्देश्यों में (क) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना; (ख) स्कूली शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतर को कम करना; (ग) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समता और समावेशन सुनिश्चित करना; (घ) स्कूली प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना; (ङ) व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना; (च) निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्य को सहायता (छ) शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में एससीईआरटी/राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन शामिल हैं।

समग्र शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं और हस्तक्षेपों में (i) उच्च माध्यमिक स्तर तक स्कूलों के उन्नयन के माध्यम से असेवित क्षेत्रों में स्कूली सुविधाओं के विस्तार द्वारा गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच बनाना (ii) पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि स्कूल निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हो सकें (iii) पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति स्कूल 5000 से 20000 रु. तक का समग्र वार्षिक अनुदान (iv) स्कूल नामांकन के आधार पर 25,000 से 1 लाख तक संयुक्त स्कूल अनुदान जिसमें से कम से कम 10% स्वच्छता कार्य योजना पर खर्च किया जाएगा (v) 5000 से 25000 रु. प्रति स्कूल की दर से खेल उपकरणों के लिए वार्षिक अनुदान (vi) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 3500 रु. प्रति बच्चा प्रति वर्ष की दर से जिसमें कक्षा I से XII तक सीडब्ल्यूएसएन लड़कियों के लिए 200 रु. प्रति माह की दर से वजीफा आवंटन (vii) प्रारंभिक स्तर पर 600 रु. प्रति बच्चा प्रति वर्ष की दर से यूनिफार्म का आवंटन (viii) प्रारंभिक स्तर पर 250/400 रु. प्रति बच्चा प्रति वर्ष की दर से पाठ्यपुस्तकों का आवंटन (ix) कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का संचालन और उन्नयन (x) शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक शिक्षा संस्थानों जैसे एससीईआरटी और डाइट को मजबूत बनाना (xi) शिक्षा में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड और डीटीएच चैनल द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना (xii) अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत प्रतिपूर्ति सहित आरटीई अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सहायता (xiii) कठिन क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावासों की स्थापना शामिल है। समग्र शिक्षा के लिए, 2021-22 में बजट अनुमान 31050.15 करोड़ रु है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी किए गए केंद्र के अंश का विवरण संलग्नक में दिया गया है।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, 111 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन किया गया है और मौजूदा 902 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषयों को मंजूरी दी गई है।

******

संलग्नक

समग्र शिक्षा अभियान के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, डॉ.सुजय विखे पाटील द्वारा दिनांक 22.03.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4221 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) तक में उल्लिखित विवरण

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी किए गए केन्द्रीय भाग और व्यय की स्थिति

(रू. लाख में)

	राज्य का नाम	2018-19		2019-20		2020-21 (फरवरी 2021 तक)	
		समग्र शिक्षा		समग्र शिक्षा		समग्र शिक्षा	
		जारी किया केन्द्रीय भाग	व्यय (राज्य भाग सहित)	जारी किया केन्द्रीय भाग	व्यय (राज्य भाग सहित)	जारी किया केन्द्रीय भाग	व्यय (राज्य भाग सहित)
1	अंडमान निकोबार द्वीव समूह	2180.32	1766.22	3093.94	3296.83	2713.79	4084.34
2	आंध्र प्रदेश	95096.76	190605.61	105996.21	179234.81	49702.08	104958.2
3	अरुणाचल प्रदेश	27643.96	40262.37	34717.07	35870.51	21688.73	18903.05
4	असम	157072.21	161942.05	152100.38	178338.27	113809.55	109165.44
5	बिहार	305837.73	558747.65	326693.12	547839.01	197642.32	333332.9
6	चंडीगढ़	7689.57	6636.59	6371.14	7690.4	4675.64	7916.01
7	छत्तीसगढ	88206.43	137877.76	101322.72	124145.37	24132.66	82570.37
8	दादर और नगर	3462.31	3555.34	3835.33	3535.68	700	0
9	दमन और दीव	631.22	835.22	924.44	870.36	1933.12	3177.21
10	दिल्ली	13981.74	27567.09	25698.06	39691.68	13613.89	19749.64
11	गोवा	1353.03	2379.62	1525.39	3167.57	1358	2283.96
12	गुजरात	67089.17	128282.27	115286.16	177686.01	73173.73	146382.27
13	हरियाणा	57841.95	74361.51	61846.56	108614.95	69808.84	89768.38
14	हिमाचल प्रदेश	43295.44	52079.51	47315.92	53992.52	36135.5	24933.92

	राज्य का नाम	2018-19		2019-20		2020-21 (फरवरी 2021 तक)	
		समग्र शिक्षा		समग्र शिक्षा		समग्र शिक्षा	
		जारी किया केन्द्रीय भाग	**व्यय (राज्य भाग सहित)**	**जारी किया केन्द्रीय भाग**	**व्यय (राज्य भाग सहित)**	**जारी किया केन्द्रीय भाग**	**व्यय (राज्य भाग सहित)**
15	जम्मू और कश्मीर	171776.03	147166.18	74028.19	31267.46	8807.9	115819.17
16	झारखंड	68596	130488.03	91426.74	176734.89	66128.44	92806.66
17	कर्नाटक	62784	125738.75	73032.69	109628.31	45410.94	69110.11
18	केरल	25604.99	39690.86	21420.28	36797.73	17835.6	27420.14
19	लद्दाख	0	0	4147.17	0	3768.44	1617.08
20	लक्षद्वीप	265.07	217.79	728.11	510.25	254.63	227.62
21	मध्य प्रदेश	243783.64	359283.06	256144.65	467368.34	192646.4	287537.04
22	महाराष्ट्र	95051.92	146450.42	73423.82	137665.31	34621.28	71968.33
23	मणिपुर	25202.01	25425.51	27363.08	34940.03	14630.35	18710.99
24	मेघालय	23784.61	36689.73	32311.14	40660.8	21222.58	34804.24
25	मिजोरम	14630.41	17181.38	16813.37	16870.77	13264.97	14478.04
26	नगालैंड	19766.33	17457.22	19047.58	19644.72	13455.05	14455.08
27	ओडिशा	123021.51	260261.41	189289.15	305962.32	124640.67	181331.1
28	पुदुचेरी	804.88	2186.97	786.54	1868.03	972.44	2148.3
29	पंजाब	44399.99	75356.38	46239.27	105492.69	47411.77	85577.06
30	राजस्थान	262721.45	361782.35	291132.13	373349.39	168455.54	376231.26
31	सिक्किम	6624.19	9984	11040.54	10172.92	5654.97	7974.32
32	तमिलनाडु	147444.01	246645.22	176912.17	296785.04	156288.82	196279.59
33	तेलंगाना	68840.42	108561.83	109524	158520.45	31398.16	61196.01
34	त्रिपुरा	24896.49	28624.26	23492.36	32043.98	23181.19	20465.54
35	उत्तर प्रदेश	462541.04	684631.1	498559.56	683202.64	343164.16	538789.72
36	उत्तराखंड	51138.26	47317.44	51187.76	55978.68	29795.61	45750.92
37	पश्चिम बंगाल	108934.52	231606.51	157905.49	279831.05	99797.83	158368.83
	कुल	2923993.61	4489645.21	3232682.23	4839269.77	2073895.56	3370292.86

स्रोत : प्रबंध